

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा-4(1)

बिन्दु क्रमांक 12

अनुदान / राज सहायता कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन की रीति

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

- संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत संचालित योजनाओं में प्रावधान एवं मापदण्ड के आधार पर कृषकों को पात्रतानुसार विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा सबसिडी की प्रकरण स्वीकार किये जाकर कार्यवाही की जाती है।
- संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के अन्तर्गत कृषकों के हित में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की अद्यतन जानकारी पूर्ण विवरण (लक्ष्य सहित) के साथ संचालनालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
जिसकी लिंक निम्नानुसार है:—

<https://www.mpdage.org/centralschemes.aspx>